न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 28 / 2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 59**
दायर दिनांक :– 17.02.2025 **निर्णय दिनांक :– 08.04.2026**

1. प्रभूसिंह पुत्र जेठमालसिंह जाति राजपूत निवासी मियाकोर तहसील हदा जिला बीकानेर

–वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी (राज.)

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री विरेन्द्रसिंह भाटी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय से पेश किया कि वादी की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 29 रकबा 14.7953 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा मयाकोर पटवार हल्का मिठड़िया तहसील घंटियाली जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि वादी की पैतृक है वादी के पिता जेठमलसिंह के देहान्त होने पर वक्त विरासत नामान्तरकरण ग्राम मयाकोर में वादी के लाड व प्यार का नाम देवीसिंह होने से वादग्रस्त भूमि के विरासत नामान्तरकरण में वादी का नाम देवीसिंह पुत्र जेठमलसिंह अंकित कर दिया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम प्रभुसिंह पुत्र जेठमालसिंह है तथा इसी नाम से वादी के पहचान संबंधित दस्तावेज इत्यादि बने हुवे है तथा वादी को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। वादी के पहचान संबंधी दस्तावेज में वास्तविक दस्तावेजी नाम प्रभुसिंह पुत्र जेठमालसिंह होने से भिन्नता की वजह से वादी अपनी उक्त कृषि भूमि पर कृषि विधुत कनेक्शन, कृषि ऋण व अन्य राज्सव संबंधी सुविधाये नहीं ले पा रहा है तथा न ही उसके किसी प्रकार की सरकार सहायता प्राप्त हो रही है। इसलिये वादी मयाकोर पटवार हल्का मिठड़िया तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 29 रकबा 14.7953 हैक्टेयर भूमि में दर्ज अपने गलत नाम देवीसिंह पुत्र जेठमलसिंह के स्थान पर अपने सही एवं वास्तविक नाम प्रभुसिंह पुत्र जेठमालसिंह के नाम खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि ग्राम मयाकोर पटवार हल्का मिठड़िया तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 29 रकबा 14.7953 हैक्टेयर भूमि के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम देवीसिंह दर्ज है जबकि वादी के पहचान संबंधित दस्तावेज आधार कार्ड इत्यादि में प्रभुसिंह दर्ज है। इसलिये वादी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर उक्त वाद का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना उचित है। वादी प्रभुसिंह के बयान पी.डब्लू–1, सहखातेदार किशोरसिंह के बयान पी.डब्लू–2,

Satya..

दुर्जनसिंह के बयान पी.डब्लू–3 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2076–2079 ग्राम मयाकोर पटवार हल्का मिठडिया तहसील बाप के खसरा नम्बर 29 रकबा 14.7953 हैक्टेयर स्थित है। वादी का नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी में देवीसिंह पुत्र जेठमलसिंह दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, कार्यालय ग्राम पंचायत मिठड़िया द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, वादी के नाम दर्ज अन्य खेत खसरान् की जमाबंदी, सहखातेदारान् के बयान् इत्यादि से साबित है कि वादी का नाम प्रभुसिंह पुत्र जेठमालसिंह है। वादी के बयान पी.डब्लू–1 में जमाबंदी प्रदर्श–1, जमाबंदी प्रदर्श–2, जमाबंदी प्रदर्श–3, नामान्तरकरण संख्या 82 प्रदर्श–4, प्रमाण पत्र प्रदर्श–5, परिचय पत्र प्रदर्श–6ए, पेन कार्ड प्रदर्श–7ए, जनआधार प्रदर्श–8ए है। वादी को देवीसिंह पुत्र जेठमलसिंह के स्थान पर प्रभुसिंह पुत्र जेठमालसिंह के नाम से खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम मयाकोर पटवार हल्का मिठडिया तहसील बाप के खसरा नम्बर 29 रकबा 14.7953 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम देवीसिंह पुत्र जेठमलसिंह के स्थान पर प्रभुसिंह पुत्र जेठमालसिंह के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार घंटियाली माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिकी पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya-

(सत्य नारायण–I. R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

1. प्रभूसिंह पुत्र जेठमालसिंह जाति राजपूत निवासी मियाकोर तहसील हदा जिला बीकानेर

–वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी (राज.)

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 28 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सत्य नारायण–I पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम मयाकोर पटवार हल्का मिठडिया तहसील बाप के खसरा नम्बर 29 रकबा 14.7953 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम देवीसिंह पुत्र जेठमलसिंह के स्थान पर प्रभुसिंह पुत्र जेठमालसिंह के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार घंटियाली माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे।नीचे

मुतालिक — बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर वसूल याबी तक — फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.04.2026 को जारी की गई।

Satya..

(सत्य नारायण–I R.A.S.)

सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।